सुशासन के कार्यक्रम : 2011-15

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
1	लोक सेवा गारंटी कानून को लागू करना।	1. विधेयक प्रारूप की अद्यतन स्थिति । 2. कौन-कौन विभाग एवं सेवाएं शामिल। 3. शामिल विभागों द्वारा याचित प्रतिवेदन प्राप्ति की स्थिति। 4. लागू किये जाने की संभावित तिथि।	सामान्य प्रशासन विभाग
2	भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति एवं बिहार विशेष अधिनियम के तहत कार्रवाई	1. कितने लोगों पर कार्रवाई चल रही है और इसकी अद्यतन स्थिति। 2. स्पीडी ट्रायल की संख्या एवं उद्यतन स्थिति। 3. भ्रष्टाचार निरोध के अन्य उपायों का क्रियान्वयन।	निगरानी विभाग
3	राज्य के कर्मियों के क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार कर उसे कार्यान्वित करना।	1. प्रशिक्षण हेतु कर्मियों की समूहवार संख्या का आकलन। 2. प्रशिक्षण नीति का निर्माण एवं इसके क्रियान्वयन की स्थिति।	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
4	सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाया जाना	1. वर्तमान व्यवहार में लाये जा रहे नियमो/अनुदेशों में परिवर्तन की आवश्यकता।	सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		2. सभी स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करना। 3. निश्चित समय पर अंकेक्षण की व्यवस्था। 4. क्षेत्रीय कार्यालयों में रोकड़बही व्यवस्था का पुनरीक्षण। टैली सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर विचार। 5. सभी कार्यालयों के निरीक्षण हेतु अलग-अलग आदर्श निरीक्षण टिप्पणी का समसय अनुपालन 6. सभी स्तरों पर कार्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी का समसय अनुपालन। 7. कोषागारों का नियमित निरीक्षण। 8. स्भी स्तरों पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन में एकरूपता एवं इसे ऑनलाईन किया जाना।	
5	पुलिस बल और जनसंख्या के राष्ट्रीय अनुपात को राज्य स्तर पर भी हासिल करने के लिए पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के सभी रिक्त पदों, विशेषकर महिला पुलिस के पदों को भरकर उनके गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाना। उन्हें आधुनिक तकनीक एवं शस्त्र से लैस करना।	1. सभी स्तर पर रिक्तियों की स्थिति एवं इसे भरने हेतु कार्रवाई। 2. आवश्यकता का आकलन एवं नियोजन की कार्रवाई। 3. महिला पुलिसकर्मी की आवश्यकता का आकलन। 4. पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण पद्धति में सुधार	गृह विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		5. आधुनिक तकनीक एवं शस्त्र से लैसा करने हेतु किये जा रहे प्रयास। 6. प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति। 7. पूरे सेवा काल हेतु प्रशिक्षण नीति का निर्माण। 8. विशेष प्रशिक्षण हेतु वाह्य राज्यों में भेजने हेतु कार्रवाई।	
6	आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आवश्यकतानुसार विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	1. कितने जिलों में कार्यक्रम चल राह है जिलावार पंचायतों की संख्या। 2. चयनित पंचायतों में विभिन्न क्षेत्रों में की गयी कार्रवाई। 3. अध:संरचना निर्माण एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं का पंचायतों में क्रियान्वयन की स्थिति।	गृह विभाग
7	सभी जिलों में, जहाँ अनुसूचित-जाति के लिए विशेष थाने नहीं खोले गये हैं, विशेष थाने खोले जाएंगे।	1. वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए थानों की जिलावार संख्या। 2. जिलों की संख्या जहॉ अनुसूचितत जाति के लिए विशेष थाने नहीं है एवं कितने जगहों पर प्रस्तावित है। 3. थानों हेतु स्थल एवं कर्मियों की व्यवस्था।	गृह विभाग
8	राज्य के सभी दियारा क्षेत्रों को नदी थानों से	1. दियारा क्षेत्रों को चिन्हित करना जहॉ नदी	गृह विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	आच्छादित किया जाएगा। नदी थानों को मोटरबोट सहित आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।	थाना खोला जाना है। 2. इसके लिए संसाधन की आवश्यकता एवं उपलब्धता हेतु की गयी व्यवस्था। 3. इसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों /कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।	
9	पटना शहरी क्षेत्र के विधि-व्यवस्था की निगरानी के लिए अत्याधुनिक केन्द्रीय नियंत्रणकक्ष स्थापित किया जाएगा जो पूर्णतया कम्प्टरीकृत होगा।	1. स्थापना एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु आधारभूत संरचना। 2. पूर्व से संचालित जिला नियंत्रण कक्ष के उन्नयन पर विचार। 3. आधुनिक संयंत्रों की आवश्यकता एवं अधिष्ठापन। 4. इसके कार्यक्षेत्र का निर्धारण	गृह विभाग
10	पुलिसकर्मियों के आवासन हेतु पर्याप्त संख्या में बैरक, शौचालय, पेयजल आदि सुविधाओं से युक्त व्यवस्था, पुलिस-लाईन तथा थानों में की जाएगी।	1. इस हेतु उपलब्ध राशि एवं अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। 2. इस वर्ष् का लक्ष्य। 3. कार्ययोजना का निर्माण एवं कार्यपूर्ण कराने की संभावित समय-सीमा।	गृह विभाग
11	राज्य के काराओं को अत्याधुनिक बनाया जाएगा तथा उनमें बंदियों की सूची, उनके फोटो तथा पहचान चिन्हों के साथ कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था में संधारित की जाएगी।	1. इस हेतु उपलब्ध राशि एवं अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। 2. काराओं के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण करने हेतु आधारभूत	गृह विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		संरचना का प्रस्ताव। 3. अधिष्ठापन किये जाने वाले विभिन्न संयंत्र। 4. कारा हस्तक में सुधार की आवश्यकता।	
12	राज्य के सभी जिला तथा अनुमंडल मुख्यालयों में आधुनिक भवन सहित अग्निशाम केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।	1. इस हेतु उपलब्ध राशि एवं अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। 2. जिलावार भवनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा। 3. आधुनिक भवन बनाने हेतु परियोजना का प्रस्तुतीकरण। 4. नये भवन निमार्ण की स्थिति में स्थल की उपलब्धता।	भवन निर्माण विभाग एवं गृह विभाग
13	राज्य के सभी थानों, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों तथा पुलिस मुख्यालय को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोडा जाएगा।	1. जिलावार अद्यतन स्थिति। 2. इस हेतु कार्य योजना एवं समय का निर्धारण।	गृह विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग
14	पंचायती राज्य व्यवस्था और पंचायत शासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किये जायेंगे तथा प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा।	1. इस हेतु उपलब्ध राशि एवं अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। 2. जिलावार पंचायतों में पंचायत भवन की स्थिति। 3. पंचायत प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु	पंचायती राज विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		प्रशिक्षण नीति का निर्माण। 4. पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु किये जा रहे अन्य उपाय।	
15	न्याय व्यवस्था को सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पदाधिकारियो / कर्मियों के प्रशिक्षण तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के सभी उपाय किए जाएंगे।	1. जिलावार वर्तमान स्थिति एवं इस हेतु किये जा रहे विभिन्न उपाय। 2. सभी जिलों एवं अनमण्डलों में विधि सहायता केन्द्र की स्थापना। 3. पदाधिकारियों / कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु नीति तैयार करना। 4. ग्राम कचहरी को प्रभावी बनाना।	विधि विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग
16	सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं की सुनवाई और उनके त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।	1. संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा। 2. सभी विभागों में इस हेतु एक कोषांग का गठन एवं नोडल पदाधिकारी चिन्हित करना। 3. विभागीय प्रधान के स्तर पर पाक्षिक सुनवाई की व्यवस्था । 4. जन शिकायत कोषांग के तर्ज पर मुख्य सचिव कर्मचारी शिकायत कोषांग के गठन पर विचार। 5. बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन	सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		पर विचार।	
17	आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढ़ांचे को अधिक सुदृढ़ कर कारगर बनाया जाएगा। आपदा की स्थिति में बचाव और राहत वितरण कार्य तत्काल और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किए जाएंगे।	1. विभाग द्वारा इस हेतु किये जा रहे उपाय। 2. बिहार रिलिफ कोड में संशोधन की आवश्यकता। 3. आधुनिक तकनीक प्रणाली से युक्त मुख्यालय स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 4. आपदा प्रवण क्षेत्रों में समुदाय के प्रशिक्षण हेतु नीति। 5. ग्राम एवं पंचायत स्तर पर पूर्णकालिक आपदा प्रबंधन समिति का गठन एवं इसके कर्त्तव्य तथा दायित्वों का निर्धारण। 6. शहरी / घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण एवं इस हेतु अधिनियम बनाना। 7. भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक की जानकारी हेतु मैशन एवं अभियंताओं को व्यापक प्रशिक्षण। 8. बाढ़ग्रस्त जिलों में गोताखोरी का प्रशिक्षण । 9. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार को पूर्ण	आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		क्रियाशील बनाना। 10. पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण एवं समय-समय पर इसको अद्यतन करना। 11. एन.डी.आर.एफ. के तर्ज पर एस.डी.आर.एफ. की बटालियन का गठन। 12. बचाव हेतु आवश्यक उपस्करों की उपलब्ध्ता।	
18	जन-साधारण को अधिक से अधिक सूचनाएं सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों यथा विभागीय वेबसाईट, वसुधा केन्द्रों इत्यादि का प्रभावी उपयोग किया जाएग।	1. बिहार ऑनलाईन पोर्टल की स्थिति। 2. सभी विभागों के लिए वेबसाईट का निर्माण एवं इसके रख-रखाव हेतु कर्मियों की व्यवस्था। 3. सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों / अनुदेशों / नियमों / हस्तकों को वेबसाईट पर डालना। 4. आम जनता के व्यवहार में आने वाले सभी प्रकार के आवेदन पत्रों को वेबसाईट पर डालना। 5. वेबसाईट पर पदाधिकारियों के Contact Details अपलोड करना। 6. पदाधिकारियो/कर्मियों/जन प्रतिनिधियों के लिए e-mail / Computer Training की	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		व्यवस्था करना। 7. सभी प्रकार के टेन्डर, नियोजन आदि की सूचना वेबसाईट पर डालना। 8. विभागीय वेबसाईट को सतत् अपडेट करने की कार्रवाई करनाद्। 9. On Line Reporting System हेतु संबंधित सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना। 10. प्रत्येक कार्यालय का सिटीजन चार्टर तैयार कर वेबसाईट पर अपलोड करना। 11. विभागों द्वारा किये जा रहे उत्तम कोटि के कार्यों को Best Practices के रूप में अपलोड करना। 12. सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तेयार कर वेबसाईट पर अपलोड करना। 13. नीलामपत्र वाद, जिलाधिकारी के न्यायालय के वाद, विभिन्न प्रकार के अनुज्ञसिधारियों की विवरणी, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों आदि का डाटाबेस तेयार करना एवं इसे वेबसाईट पर अपलोड करना।	

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		14. विभिन्न योजनाओं के बजट एवं खर्च को वेबसाईट पर निर्रतर अपलोड एवं अपडेट करना।	
19	प्रशासन को जन भावनाओं के अनुरूप तथा अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा।	1. सभी स्तरों पर जनता दरबार का नियमित आयोजन एवं प्राप्त परिवादों का निश्चित समय सीमा के अन्दर निष्पादन। 2. पदाधिकारियों का क्षेत्र भ्रमण। 3. नागरिक समितियों का गठन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता एवं परामर्श। 4. पदाधिकारियों को प्रशिक्षण। 5. कार्यालयों में आगन्तुकों के बैठने एवं आतिथ्य हेतु उपाय। 6. पदाधिकारियों द्वारा शिष्टाचार का अनुपालन। 7. पंचायत राज प्रतिनिधियों की भूमिका को प्रभावकारी बनाना। 8. समय-समय पर विभागवार विज्ञापन प्रकाशित कर आम जन मानस से सुझाव की मांग। 9. विभागवार विचार संगोष्ठी का आयोजन।	सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
20	स्थानीय समस्याओं का स्थल पर त्वरित निकराकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का नियमित आयोजन किया जाएगा।	1. ग्राम कचहरी को सशक्त करना। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में जनता दरबार का आयोजन। 3. पदाधिकारियों द्वारा अधिकाधिक क्षेत्र भ्रमण।	ग्रामीण विकास विभाग
21	लोक सेवा प्रदान करने वाली प्रणालियों को सशक्त, कारगर और पारदर्शी बनाया जाएगा।	1. किन-किन विभागों को शामिल किया जाएगा। 2. सेवा की गारंटी अधिनियम लागू करना। 3. सभी कार्यालयों में रिक्तियों को भरना। 4. आवश्यकता को अनुरूप नये कर्मियों के नियुक्ति पर विचार। 5. कार्यालय के बाहर सिटिजन चार्टर को प्रदर्शित करना। 6. हैण्डबिल, विज्ञापन एवं अन्य प्रचार माध्यमों से लोक सेवा प्राप्त करने के संबंध में अधिकतम जानकारी प्रदान करना।	सामान्य प्रशासन विभाग
22	कर्मियों एवं पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकण प्रक्रिया को बेहतर एवं प्रभावी बनाया जाएगा।	1. सभी संवर्गों के पदाधिकारियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसे नियमित रूप से भर कर भेजना।	सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		2. कार्य मूल्यांकन हेतु मानदंड निर्धारित करना।	
23	समाज और प्रशासन के हर क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा।	1. समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। 2. नवाचार पालन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश।	सामान्य प्रशासन विभाग
24	राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को आगामी पांच वर्षों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाया जाएगा।	1. अद्यतन स्थिति। 2. कार्य योजना का निर्धारण। 3. समुचित प्रचार प्रसार। 4. प्रभावी टीकाकरण। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की व्यवस्था। 6. जननी बाल सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना।	स्वास्थ्य विभाग
25	कुपोषण की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विशेष कार्यक्रम मिशन के रूप में चलाये जाएंगे।	1.अद्यतन स्थिति। 2.विशेष कार्यक्रम की रूप रेखा। 3.दवा एवं पोषाहार वितरण की समुचित निरीक्षण व्यवस्था। 4.जनचेतना संबंधी कार्यक्रम द्वारा जागरूकता पैदा करने की व्यवस्था।	स्वास्थ्य विभाग
26.	राज्य में राष्ट्रीय औसत से ऊपर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए "मुस्कान एक अभियान" कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा।	1. वर्तमान स्थिति। 2. कार्यक्रम के सुदृढ़ करने की कार्ययोजना।	स्वास्थ्य विभाग
27	राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक	1. वर्तमान में कितने स्वास्थ्य के में लागू	स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 24 घंटे कार्यरत बनाया जाएगा।	है। 2. शेष हेतु कार्ययोजना। 3. चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता। 4. ऐम्बूलेंस की उपलब्धता। 5. दवाओं की उपलब्धता।	
28	व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों के रिक्त पद सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से भरे जाएंगे।	1. वर्तमान रिक्ति। 2. नियुक्ति की दिशा में कृत कार्रवाई। 3. नियुक्ति में संभावित समय।	स्वास्थ्य विभाग
29	एलोपैथी के साथ-साथ आयुष विद्या के तहत राज्य के सभी अस्पतालों में जन साधारण को चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयां उपलब्ध करायी जाएंगी।	1. वर्तमान सृजित पद। 2. कार्यशील आयुष चिकित्सकों की संख्या। 3. रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की दिशा में कृत कार्रवाई। 4. नियुक्ति में संभावित समय।	स्वास्थ्य विभाग
30	स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनके स्वास्थ्य की जांच, बच्चावार स्वास्थ्य कार्ड का संधारण, विटामिन-ए, कृमिनाशक(Deworm) की दवा जैसी सुविधाएं उन्हें तीन महीने में एक बार निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाएंगी।	1. लक्षित समूह की संख्या का आकलन। 2. कार्ययोजना की निर्माण। 3. दवाओं की उपलब्धता। 4. वितरण प्रणाली विकसित करना। 5. जागरूकता अभियान चलाना।	स्वास्थ्य विभाग
31	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को और सघन रूप से लागू कर आगामी वर्षों में उन्मूलन के हर संभव	1. सघन जागरूकता अभियान। 2. सामुदायिक भागीदारी एवं उत्तरदायित्व।	स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	प्रयास किये जाएंगे।	3. सतत् अभियान का संचालन	
32	राज्य में स्पेशलिटी अस्पतालों की कमी को देखते हुए प्रत्येक प्रमुख रोग हेतु कम से कम एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापन आगामी पांच वर्षों में की जाएगी।	1. AIMS में बिहार से जाने वाले रोगियों की रोगवार संख्या का आकलन करना एवं उस संख्या में कमी के लिए आवश्यक सुविधाएं राज्य में उपलबध कराने की कार्रवाई करना। 2. कार्ययोजनाका निर्माण-कितने रोगों के लिए बनाया जाएगा। 3. स्थल की उपलब्धता। 4. विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता।	स्वास्थ्य विभाग
33	राज्य से इलाज हेतु बाहर जानेवाले रोगियों की संख्या को घटाने के लिए राज्य के भीतर स्थित स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक बदलाव लाया जाएगा।	1. बाहर जाकर ईलाज कराने वाले मुख्य रोगों की पहचान। 2. अस्पतालों में विशेष्ज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता। 3. आधुनिक उपकरण की उपलबधता। 4. शैल्यकक्षों का आधुनिकीकरण। 5. दवाओं की उपलब्धता। 6. अस्पतालों के रख-रखाव का सुदृढ़ीकरण। 7. मरीजों के साथ सदव्यवहार। 8. स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक बदलाव की दिशा में कृत कार्रवाई।	स्वाथ्य विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
34	राज्य के तीन प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों का भवन निर्माण एवं पूर्ण रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाएण्गा। साथ ही निजी क्षेत्र में पारा मेडिकल कॉलेज लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।	1. पहचान 2. अस्पतालें में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता। 3. आधुनिकरण की उपलब्धता। 4. शैल्यकक्षों का आधुनिकरण । 5. दवाओं की उपलब्धता। 6. अस्पतालों के रखरखाव का - सुद्वढीकरण। 7. मरीजों के साथ सदव्यवहार1 8. स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक बदलाव की दिशा में क़त कारर्वाई।	कल्याण विभाग
35.	राज्य के वर्तमान मेडिकल कॉलेजों को सुद्वढ. करने के द्वष्टिकोण से उनमें भवन,विशिष्ट उपकरण, प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सकों की चिकित्सकीय सुविधाएॅ दी जाएगी।	1. कार्ययोजना का निर्माण। 2. विशिष्ट उपकरण व्यस्था। 3. समुचित प्रशिक्षण।	स्वास्थ्य विभाग
36.	वर्तमान में कार्यरत ए0एन0एम, जी0ए0एम0 प्रशिक्षित स्कूलों का सुद्वीढीकरण कर सीटों की संख्या में बढोतरी की जाएगी एवं नर्सिग् महाविधालय की स्थापना की जाएगी। ऐसे विधालय एवं कॉलेज स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को विशेष रूप से बढावा दिया जाएगा।	1. आवश्यकता का आकलन कर सीटों में बढोतरी का प्रस्ताव। 2. नर्सिग महाविधालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव 3. निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक निति एवं अध संरचना का	स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		विकास	
37	राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शय्या वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना। 3.संभावित समय सीमा।	स्वास्थ्य विभाग
38	राज्य में राजमागो के किनारे 9 (नौ) अत्याधुनिक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जाएगी।	1.कार्ययोजना। 2.स्थल का चयन। 3.संभावित समय सीमा।	विभाग
39	प्रारंभिक विद्यालयों से बाहर के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।	1.चल रहे कार्यक्रम। 2.कार्ययोजना। 3.सामुदायिक स्तर पर जागरूकता। 4.मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू रूप से लागू करना।	मानव संसाधन विकास विभाग
40	राज्य में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात और कमरा विद्यार्थी अनुपात को ''शिक्षा के अधिकार कानून'' के प्रावधान के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना। 3.संभावित समय सीमा।	मानव संसाधन विकास विभाग
41	प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने, कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की कार्य योजना का विस्तार और क्रियान्वयन किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना। 3.संभावित समय सीमा।	मानव संसाधन विकास विभाग
42	राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क पोशाक उपलब्ध करायी	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना।	मानव संसाधन विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	जाएगी।	3.संभावित समय सीमा।	
43	राज्य की साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने के प्रयास सुनिश्चित किये जाएंगे।	1.राज्य का वर्तमान औसत। 2.लक्षित समूह की संख्या का आकलन। 3.कार्ययोजना। 4.संभावित समय सीमा।	मानव संसाधन विकास विभाग
44	अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे-बच्चियों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।	1.कार्ययोजना एवं आधारभूत संरचना का निर्माण। 2.जागरूकता अभियान चलाना। 3.समय-समय पर गुणवत्ता मूल्यांकन की व्यवस्था।	मानव संसाधन विकास विभाग
45	राज्य के सभी बच्चों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाँच किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति का आकलन एवं कार्ययोजना। 2.विद्यालय स्थापना हेतु स्थान चिन्हित कर आवश्यकतानुसार नयी इकाई स्वीकृत करना। 3.संचालन हेतु संसाधन की व्यवस्था। 4.संभावित समय सीमा।	मानव संसाधन विकास विभाग
46	बुनियादी विद्यालयों को पुनर्जीवित कर शिक्षा में श्रम के महत्व को पुनर्स्थापित किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं कार्ययोजना। 2.क्रियान्वयन हेतु समय सीमा का निर्धारण। 3.नियमित मूल्यांकन के लिए ऐजेंसी का निर्धारण।	मानव संसाधन विकास विभाग
47	प्रारम्भिक शिक्षा को आनंददायक एवं रूचिकर बनाकर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ावा	1.वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं कार्ययोजना। 2.नयी तकनीकि पद्धति।	मानव संसाधन विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	दिया जायगा। इसके लिए समुचित शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।	3.पर्याप्त प्रशिक्षण। 4.खेल एवं मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था।	
48	प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।	1.स्थल चयन। 2.भवन निर्माण। 3.शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की व्यवस्था।	मानव संसाधन विकास विभाग
49	राज्य के युवाओं को राज्य के अन्दर-बाहर लाभप्रद रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्यस्तरीय कौशल विकास निगम का गठन किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु लोक निजी भागीदारी का उपयोग भी किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 3.कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं एवं 4.प्रशिक्षकों की व्यवस्था।	सामान्य प्रशासन विभाग
50	बिहार को उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में स्थापित करने के सभी प्रयास किये जाएंगे ताकि उच्च शिक्षा एवं कोचिंग आदि के लिए राज्य के छात्रों को राज्य से बाहर न जाना पड़े।	1.वर्तमान स्थिति की समीक्षा। 2.कार्ययोजना की तैयारी। 3.पूर्व से उपलब्ध महाविद्यालयों का सशक्तिकरण। 4.आवश्यकतानुसार तकनीकि महाविद्यालयो/विश्वविद्यालयों की स्थापना। 5.नियमित मूल्यांकन। 6.समय सीमा का निर्धारण।	मानव संसाधन विकास विभाग
51	मध्याह्न भोजन योजना में जनभागीदारी को बढ़ाया जाएगा और लक्ष्य वर्ग के बच्चों के माता-पिता की	1.कार्ययोजना। 2.अभिभावकों के समितियों का गठन।	मानव संसाधन विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	भागीदारी भी प्राप्त की जाएगी।	3.जागरूकता अभियान/सोसल ऑडिट।	
52	बिहार को तकनीकी शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए नीति बनाई जायेगी।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.नीति निर्धारण हेतु कमिटि का गठन। 3.समय सीमा का निर्धारण।	मानव संसाधन विकास विभाग
53	राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (मिनी आई.टी.आई.), सभी अनुमंडलों में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला मुख्यालयों में एक-एक पोलिटेकनिक संस्थान तथा सभी प्रमंडलों में एक-एक इंजिनियरिंग/चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेंगे।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.स्थल का चयन एवं भवन निर्माण की व्यवस्था। 3.शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की व्यवस्था। 4.समय सीमा का निर्धारण।	मानव संसाधन विकास विभाग
54	राज्य के सुदूर एवं दुर्गम जगहों से राज्य की राजधानी पहुँचने में अधिकतम 6 घंटे लगे, इसी के अनुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।	1.कार्ययोजना की तैयारी। 2.ऐजेंसियों का निर्धारण। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 4.निर्धारित समय सीमा।	पथ निर्माण विभाग
55	पथों, पुलों आदि के रख-रखाव के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्धारण एवं उसके अनुरूप क्रियान्वयन किया जाएगा।	1.नीति निर्धारण हेतु समिति का गठन। 2.निर्धारित समय सीमा।	पथ निर्माण विभाग
56	राज्य में पथों और पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव में उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर एक अलग गुण	1.कार्ययोजना। 2.विशेषज्ञों की टीम का गठन। 3.आवश्यक संरचना एवं संसाधन।	पथ निर्माण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	नियंत्रण ढांचे का निर्माण किया जाएगा।		
57	ऐसी सड़कें जो राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, मुख्य जिला पथ, ग्रामीण कार्य विभाग या शहरी निकाय के अधीन नहीं है, को चिन्हित कर उनके निर्माण एवं रख-रखाव हेतु एक नई नीति का निर्धारण किया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति की समीक्षा। 2.कार्ययोजना। 3.नीति निर्धारण हेतु समिति का गठन। 4.निर्धारित समय सीमा।	पथ निर्माण विभाग
58	राजधानी समेत राज्य के प्रमुख शहरों में MRTS आधारित पथ निर्माण और यातायात प्रणाली को विकसित किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.निर्धारित समय सीमा। 3.संसाधन/ऐजेंसी।	पथ निर्माण विभाग
59	2015 तक 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव/टोलों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।	1.गॉ ंव/टोलों की पहचान। 2.कार्ययोजना। 3.निर्धारित समय सीमा। 4.संसाधन/ऐजेंसी।	ग्रामीण कार्य विभाग
60	जन साधारण से जुड़ी परिवहन विभाग की सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उन्हें कम्प्यूटरीकृत कर ऑन लाईन किया जायेगा।	1.कार्ययोजना। 2.निर्धारित समय सीमा। 3.संसाधन/ऐजेंसी।	परिवहन विभाग
61	बिहार में बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए विद्युत उत्पादन की स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 3.समय सीमा का निर्धारण।	उर्जा विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
62	जले ट्रांसफार्मर को बदलने की व्यवस्था नियत समय में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा तथा विद्युत वितरण में सुधार हेतु जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले तार को चरणबद्ध ढंग से बदला जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.कार्यशाला का सुदृढ़ीकरण। 3.संसाधन की व्यवस्था। 4.समय सीमा का निर्धारण।	उर्जा विभाग
63	विद्युत क्षेत्र में संचरण एवं वितरण की क्षति में क्रमिक कमी लाकर इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने का प्रयास किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.निगरानी हेतु एक सशक्त एवं स्वतंत्र ऐजेंसी का गठन। 3.सतत निरीक्षण की अपनी व्यवस्था।	उर्जा विभाग
64	बिजली संबंधी बकायों की ससमय वसूली के लिये बिल तैयारी एवं वितरण तथा बिल संग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।	1.विभाग के कार्य प्रणाली में सुधार। 2.ऑन स्पॉट बिलिंग एवं भुगतान की व्यवस्था।	उर्जा विभाग
65	अक्षय ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु प्रोत्साहन की नीति तैयार कर इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। सुदूर क्षेत्रों, जहां ग्रिड से बिजली पहुँचाने में कठिनाई हो, वहाँ अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.स्त्रोतों की पहचान। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 4.समय सीमा का निर्धारण।	उर्जा विभाग
66	विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिये निजी निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा राज्य में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये	1.निवेशकों से सम्पर्क एवं समन्वय। 2.निवेश हेतु निवेशकों में विश्वास पैदा करना। 3.कोल लिंकेज की अग्रिम योजना तैयार कर	उर्जा विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	प्राथमिकता के आधार पर कोल लिंकेज सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।		
67	जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का पूर्ण सर्वेक्षण कर ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी निवेश के माध्यम से कराने हेतु पहल की जाएगी।	1.सर्वेक्षण की व्यवस्था। 2.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 3.आधारभूत संरचना का निर्माण।	उर्जा विभाग
68	पेयजल एवं स्वच्छता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वगो के लोगों को आच्छादित करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता नीति का निर्माण किया जाएगा।	1.नीति निरूपन के लिए समिति का गठन। 2समय सीमा का निर्धारण।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
69	राज्य के सभी शहरों और गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 'मिशन मोड' पर कार्रवाई की जाएगी।	1.कार्रवाई की रूप रेखा निर्धारण। 2.संसाधन की व्यवस्था। 3. समय सीमा।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
70	फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर स्वच्छ पेयजल की आपूत्र्ति की जाएगी।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.आधारभूत संरचना का निर्माण। 3.समय सीमा।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
71	बिहार से बहनेवाली नदी (सतही जल स्रोतों) से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।	1.जल स्त्रोतों की पहचान। 2.आधारभूत संरचना का निर्माण। 3.समय सीमा।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
72	राज्य के सभी वगो विशेषकर महिलाओं को	1.प्राधिकार का गठन की कार्रवाई।	लोक स्वास्थ्य

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक अलग प्राधिकार का गठन किया जाएगा, जो इसे आगामी पाँच वषो में पूरा करेगा।	2.शौचालय निर्माण के लिए कार्ययोजना। 3.समय सीमा।	अभियंत्रण विभाग
73	राज्य के स्थायी बाढ़ प्रबंधन हेतु वृहत् बाढ़ प्रबंधन नदी परियोजनों के तहत तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.ऐजेंसी का निर्धारण। 3.संभावित बजट व्यवस्था। 4.कार्य का मूल्यांकन।	जल संसाधन विभाग
74	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में उच्च तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।	1.विशेषज्ञ टीम का गठन। 2.कार्ययोजना एवं संभावित बजट।	जल संसाधन विभाग
75	अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना पर कार्य।	1.विशेषज्ञ टीम का गठन। 2.कार्ययोजना एवं संभावित बजट। 3.बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	जल संसाधन विभाग
76	बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी राज्य में पूर्व से चल रहे विश्व बैंक संपोषित प्रणाली का क्षमता विस्तार किया जाएगा।	1.विशेषज्ञ टीम का गठन। 2.कार्ययोजना एवं संभावित बजट। 3.अत्याधुनिक तकनीकि का प्रयोग हेतु संसाधन की व्यवस्था।	जल संसाधन विभाग
77	राज्य की महत्वपूर्ण नदियों यथा गंडक, कोसी, सोन, दुर्गावती, चांदन, क्यूल, कमला, बागमती और बधुआ इत्यादि के कमांड क्षेत्र में नहरों का जीर्णोद्धार एवं क्षमता विस्तार।	1.सर्वेक्षण। 2.पुराने नहरों का जीर्णोद्धार। 3.कार्ययोजना एवं बजट प्रावधान।	जल संसाधन विभाग
78	राज्य की सिंचाई क्षमता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से	1.स्थलों की पहचान एवं कार्ययोजना।	जल संसाधन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	नदियों पर नए बराज और छिलका का निर्माण किया जाएगा।	2.बजट की व्यवस्था। 3.समय सीमा।	
79	बड़ी और मंझोली परियोजनाओं के साथ जलागारों को पुन: कार्यशील बनाकर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा।	1.सर्वेक्षण। 2.विशेषज्ञों के राय पर कार्ययोजना। 3. आवश्यक संसाधन की व्यवस्था।	जल संसाधन विभाग
80	बिहार भू-जल सिंचाई योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी विस्तार किया जाएगा।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.समय सीमा।	जल संसाधन विभाग
81	पारम्परिक सिंचाई प्रणाली का पुनरूद्धार - आहर, पईन प्रणाली को दुरूस्त करना।	1.सर्वेक्षण। 2.कार्ययोजना। 3.संसाधन।	लघु सिंचाई विभाग
82	कार्यरत सरकारी ट्यूबवेल का समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पुनरूद्धार योजना का क्रियान्वयन।	1.कार्ययोजना। 2.बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 3.समय सीमा।	लघु सिंचाई विभाग
83	बाढ़ प्रबंधन तकनीक से संबंधित विषयों पर आधारित आधुनिक संस्थान की स्थापना।	1.कार्ययोजना। 2.विशेषज्ञों की समिति एवं संभावित बजट प्रावधान।	जल संसाधन विभाग
84	जमींदारी बांधों के रखरखाव की योजना का विस्तार किया जाएगा।	1.सर्वेक्षण। 2.जिला स्तर पर कमिटि गठन। 3.कार्ययोजना। 4.संसाधन।	जल संसाधन विभाग
85	सभी शहरी क्षेत्रों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी	1.कार्ययोजना का निर्माण।	नगर विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	व्यवस्था लागू की जायेगी जिसमें आवश्यकतानुसार जन निधि भागीदारी का उपयोग किया जायेगा।	2.लोक जन भागीदारी की व्यवस्था। 3.जागरूकता पैदा करना। 4.पॉली बैग पर नियंत्रण की व्यवस्था करना।	
86	पटना सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों के मास्टरप्लान तैयार कर लागू किये जायेंगे, जिसमें ड्रेनेज, सिवरेज इत्यादि जन सुविधाओं के समुचित प्रबंध होंगे।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.विशेषज्ञों के टीम। 3.ऐजेंसी का चयन। 4.संभावित बजट का प्रस्ताव।	नगर विकास विभाग
87	पटना सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पर्यावरण संरक्षण और सौन्दर्यीकरण के उद्देश्य से पार्क, तालाब, झील सामाजिक वानिकी आदि को विकसित किया जायेगा और इसके नियमित संधारण की समुचित व्यवस्था की जायेगी।	1.कार्ययोजना। 2.संभावित बजट का प्रावधान। 3.लोक जन भागीदारी की व्यवस्था।	नगर विकास विभाग
88	फुटपाथ दुकानदारों और ठेला वेन्डरों की सहायता के लिए एक समेकित नीति तैयार कर उसे कार्यान्वित किया जायेगा।	1.कार्यशाला आयोजित करना। 2.कार्ययोजना। 3.परस्पपर समन्वय की व्यवस्था।	नगर विकास विभाग
89	पटना सहित प्रदेश के मुख्य शहरों में ट्रॉफिक जाम से निजात पाने के लिए समेकित अत्याधुनिक	1.विशेषज्ञ द्वारा सर्वेक्षण। 2.कार्ययोजना।	नगर विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी।	3.संसाधन एवं बजट।	
90	प्रमुख शहरों में आबादी के बढ़ते दबाव के आलोक में सेटेलाइट शहरों की स्थापना हेतु कार्रवाई की जायेगी।	1.विशेषज्ञों के राय पर आधारभूत संरचना का निर्माण। 2.संसाधन एवं बजट का प्रावधान। 3.समय सीमा।	नगर विकास विभाग
91	मुक्तिधाम योजना के तहत श्मशान घाटों तथा विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण एवं संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें आवश्यकतानुसार, लोक-निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।	1.स्थल चयन हेतु सर्वेक्षण एवं कार्ययोजना। 2.बजट का आकलन एवं व्यवस्था। 3.लोक जन भागीदारी की व्यवस्था। उपकरणों की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु ऐजेंसी का चयन।	नगर विकास विभाग
92	कृषि रोड मैप के कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। मंत्री समूह द्वारा रोड मैप संबंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाएगा।	1.कृषि विशेषज्ञों की टीम का गठन। 2.रोड मैप तैयार करना। 3.निर्धारित समय सीमा।	कृषि विभाग
93	खा ः सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्या उत्पादन में प्रभावी वृद्धि की जायगी, साथ ही साथ उत्पादकता को बढ़ाया जायगा।	1.विशेषज्ञ टीम के द्वारा सर्वेक्षण। 2.कार्यशाला। 3.सिंचाई, बीज, उर्वरक इत्यादि सुलभ कराना।	कृषि विभाग
94	धान, गेहूँ, दलहन के वर्तमान बीज विस्थापन दर को बढ़ाया जायगा तथा विभि फसलों के प्रमाणित	1.प्रमाणित बीज के उत्पादन को बढ़ावा देना। 2.बिहार राज्य बीज निगम' और 'बिहार राज्य	कृषि विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	बीज किसानों को राज्य संसाधन से अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर वितरित किये जायेंगे। 'बिहार राज्य बीज निगम' और 'बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी' को सुदृढ़ किया जायगा।	बीज प्रमाणन एजेन्सी' के सुदृढ़ीरण हेतु विशेषज्ञ एवं अत्याधुकिन तकनीक से युक्त करना।	
95	प्रत्येक किसान को मिटटी के जाँच के आधार पर मिटटी स्वास्थ्य कार्ड दिया जायगा।	1.पंचायत स्तर पर केन्द्र की स्थापना करना। 2.ऐजेंसी का चयन।	कृषि विभाग
96	जैविक खेती को व्यापाक पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को वर्मी कम्पोस्ट/ जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व सुगमता से उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।	1.किसानों का प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, भ्रमण की व्यवस्था हेतु कार्य योजना। 2.बजट का आकलन एवं व्यवस्था।	कृषि विभाग
97	16 जिलों में 'जिला कृषि भवन' और सभी प्रखण्डों में 'ई-किसान भवन' की स्थापना और बड़ी संख्या में विषयवस्तु विशेषज्ञ, किसान सलाहकार और प्रखंड प्रौद्योगिकी प्रबंधकों का नियोजन कर किसान को आधुनिकतम कृषि तकनीक की जानकारी दी जायगी।	1.स्थल का चयन। 2.विशेषज्ञों की व्यवस्था। 3.नियोजन की कार्रवाई। 4.समय सीमा।	कृषि विभाग
98	किसानों को आधुनिकतम कृषि यंत्रों पर राज्य संसाधन से अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।	1.प्रशिक्षण की व्यवस्था। 2.बजट का प्रावधान। 3.राशि का आकलन।	कृषि विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
99	प्रत्येक जिला में एक उद्यान फसल का सघन विकास किया जायगा।	1.कार्ययोजना का निर्माण। 2.उद्यान फसल हेत जनचेतना पैदा करना।	कृषि विभाग
100	'मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना' के माध्यम से 1 करोड़ गुणवत्ता वाले फलों के पौधे अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।	1.उद्यान विशेषज्ञ द्वारा सर्वेक्षण। 2.कार्ययोजना। 3.पौधौं का उत्पादन।	कृषि विभाग
101	खाद्यान्न भण्डारण क्षमता के विकास के लिए भण्डारण की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर दुगुना किया जायेगा। सभी पैक्सों का सुदृ ढकरणकिया जायगा तथा वैकल्पिक अभिकरण के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राज्य की भंडारण क्षमता आदि में पैक्सों का उपयोग किया जायगा।	1.कार्ययोजना। 2.स्थलों का चयन एवं भवन निर्माण की व्यवस्था। 3.समयसीमा। 4.बजट प्रावधान।	कृषि विभाग
102	मछलीपालन, बागवानी, कुक्कुटपालन आदि सम्बद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित कर कृषि आय बढ़ाने के लिए इन्द्रधनुषी क्रान्ति लाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जायेंगे।	1.लाभुकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम। 2.ग्रासरूट लेवल पर सपोर्ट सिस्टम विकसित करना। 3.नियमित मूल्यांकन के लिए सिस्टम।	कृषि तथा पशु एवं मत्स्य पालन विभाग
103	मछली उत्पादन और जल कृषि (मखाना, सिंघाड़ा	1.सर्वेक्षण एवं कार्ययोजन।	कृषि तथा पशु एवं

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	आदि) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में जल जमाव ग्रस्त क्षेत्रों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जायगा।	2.लाभुकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम। 3.समन्वय हेतु ऐजेंसी का निर्माण।	मत्स्य पालन विभाग
104	राज्य के टाल और दियारा क्षेत्रों के विकास के लिए अलग योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।	1.विशेषज्ञ टीम का गठन। 2.समय सीमा अन्तर्गत विशेषज्ञ द्वारा कार्ययोजना का निर्माण। 3.बजट प्रावधान।	कृषि विभाग
105	2015 तक सभी टोलों का मुख्य सड़कों से जोड़ने तथा टोलों की गलियों का पक्कीकरण और नाला निर्माण का कार्य किया जायगा।	1.कार्ययोजना। 2.निर्धारित समय सीमा। 3.संसाधन/ऐजेंसी।	ग्रामीण विकास विभाग
106	राज्य में उच्च कोटि के ग्रामीण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जायेगी।	1.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 2.विशेष ऐजेंसी का गठन।	ग्रामीण विकास विभाग
107	सूचना प्रावैधिकी के नवाचारी उपयोग यथा ई-शक्ति इत्यादि के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जायगा।	1.कार्ययोजना। 2.वसुधाकेन्द्रों का सशक्तिकरण।	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग
108	गैर कृषि गतिविधियों के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के सारे मामलों में सभी किसानों को	1.नियमावली तैयार करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	हितधारी बनाया जायगा।		
109	भू-अभिलेखों को सभी स्तरों पर अद्यतन कर कम्प्यूटरीकृत किया जायगा।	1.कार्ययोजना। 2.संसाधन। 3.मूल्यांकन।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
110	दाखिल-खारिज के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था की जायगी।	1.कम्प्यूटरीकृत करना। 2.प्रत्येक गॉ वकी खतियान उपलब्ध कराना तथा इसके एवं रजिस्ट-2 को ऑन लाईन करने की व्यवस्था करना। 3.कार्ययोजना एवं बजटर निर्धारण।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
111	आशियानाविहीन एवं घुमन्तू परिवारों को चिन्हित कर उन्हें आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।	1.समूहों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण। 2.स्थल की पहचान। 3.कार्ययोजना एवं बजट।	समाज कल्याण विभाग
112	इन्दिरा आवास योजना को व्यापक और सुदृढ़ बनाया जायगा।	1.लभुकों की पहचान। 2.जॉ चएवं निगरानी हेतु स्वतंत्र ऐजेंसी।	ग्रामीण विकास विभाग
113	सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देकर राज्य के वनाच्छादन में वृद्धि की जाएगी।	1.पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण।	पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
		2.पौधा की उपलब्धता सुनिचित करने के लिए संरचना का निर्माण। 3.बजट की व्यवस्था।	
114	सुरक्षित वन क्षेत्र एवं आश्रणियों का समेकित विकास किया जाएगा।	1.सुरक्षित वन क्षेत्रों की पहचान। 2.कार्ययोजना। 3.बजट। 4.ऐजेंसी का चयन।	पर्यावरण एवं वन विभाग
115	जल, जमीन एवं हवा के प्रदूषण को रोकने के प्रभावी उपाय किए जायेंगे।	1.कार्ययोजना। 2.जनजागरण अभियान। 3.ऐजेंसी।	पर्यावरण एवं वन विभाग
116	वन्य जीवों की रक्षा एवं वृद्धि के प्रभावी उपाय किए जायेंगे।	1.कार्ययोजना। 2.विशेषज्ञों के समिति का गठन। 3.विशेष ऐजेंसी।	पर्यावरण एवं वन विभाग
117	गंगा डाल्फिन और घरेलू गौरैया के संरक्षण हेतु विशेष कदम उठाए जायेंगे।	1.कार्ययोजना। 2.जनजागरण अभियान। 3.विशेषज्ञों के समिति का गठन।	पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
118	पर्यावरण चेतना को स्कूली पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाएगा।	1.विशेषज्ञों के समिति का गठन। 2.कार्यशाला।	पर्यावरण एवं वन विभाग
119	उद्योग प्रोत्साहन आयोग का गठन किया जाएगा।	1.आयोग का गठन। 2.आयोग की नियमावली। 3.संसाधन एंव बजट प्रावधान। 4.पदाधिकारी एवं कर्मचारी की व्यवस्था।	उद्योग विभाग
120	औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति, सूचना प्रावैधिकी नीति, अक्षय ऊर्जा नीति तथा निजी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना सम्बन्धी नीति बनाई जायेगी।	1.विशेषज्ञों के समिति का गठन। 2.निजी निवेशकों को आमंत्रण। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था।	उद्योग विभाग
121	उद्योग को बढ़ावा हेतु वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण को विकसित और सुदृढ़ किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.लंबिता दावों का निष्पादन। 3.बजट की व्यवस्था।	उद्योग विभाग
122	विभिन्न कार्याक्षेत्रों में लगे कारीगरों एवं बुनकरों को कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था कर नए डिजाईनों के संबंध में उनका उन्मुखीकरण किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था। 3.लाभुकों की पहचान।	उद्योग विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
123	राज्य में उपलब्ध औद्योगिक क्लस्टर्स को और सुदृढ़ करना है तथा उन स्थानों में कॉमन फेसिलिटिस सेंटर स्थापित किये जाऐंगे। नये क्लस्टर्स यथा मुजफ्फरपुर में चर्म उद्योग तथा गया में अगरबत्ती उद्योग विकसित किये जाऐंगे।	1.औद्योगिक क्लस्टर्स की पहचान करना। 2.कॉमन फेसिलिटिस सेंटर की स्थापना। 3.कार्ययोजना।	उद्योग विभाग
124	बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर, भागलपुर में अतिरक्त सुविधायें सृजित की जायेंगी यथा टेस्टिंग सुविधायें, सर्टिफिकेशन तथा CADCAM की सुविधा।	1.कार्ययोजना। 2.संस्थान का जिर्णोद्धार। 3.बजट की व्यवस्था। 4.समय सीमा/मूल्यांकन।	उद्योग विभाग
125	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पाटलीपुत्र, पटना को पुनर्जीवित कर नया आयाम प्रदान किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.बजट की व्यवस्था। 3.ऐजेंसी का निर्धारण।	उद्योग विभाग
126	खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में उत्तरी बिहार में एक नया फूड डेवलपमेंट सेंटर सृजित किया जाएगा। इस सेंटर में खाद्य पदार्थों की जाँच, गुणवत्ता तथा सर्टिफिकेशन और प्रशिक्षण तथा शोध की भी व्यवस्था रहेगी।	1.सर्वेक्षण। 2.खाद्य के अनुरूप संस्थान का निर्माण। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
127	वाणिज्यकर विभाग की सभी गतिविधियों यथा निबंधन, करों के भुगतान इत्यादि को सरलीकृत	1.कार्ययोजना। 2.ऑनलाईन करने हेतु ऐतु ऐजेंसी का चयन।	वाणिज्य कर विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	कर व्यवसायियों को ऑन लाईन सुलभ कराया जायगा ताकि व्यवसायियों को इन कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय न जाना पड़े।	3.समय सीमा	
128	अन्य राज्यों में कार्यरत बिहार के प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये	1.कार्ययोजना। 2.एक स्वतंत्र आयोग के गठन पर विचार। 3.प्रवासी बिहारियों से सम्पर्क एवं समन्वय के लिए एक ऐजेंसी।	समाज कल्याण विभाग
129	बिहार राज्य के लिए ''महिला सशक्तीकरण नीति'' बनाई जाएगी।	1.नीति निरूपण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति। 2.कार्यशाला। 3.कार्ययोजना।	समाज कल्याण विभाग
130	राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में महिला पुलिस थाना की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।	1.स्थल चयन एवं भवन निर्माण। 2.संसाधन की व्यवस्था।	गृह विभाग
131	महिलाओं से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ''एकीकृत राज्य कार्ययोजना'' का निर्माण एवं अनुपालन। विभिन्न सामाजिक कुरीतियों यथा लिंग विभेद, बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, डायन, मानव व्यापार के मुद्दे पर	1.कार्यशालाओं का आयोजन। 2.विशेषज्ञों के राय का संकलन। 3.नियमों में आवश्यक संशोधन।	समाज कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	प्रभावी योजना एवं कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना।		
132	महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में ''महिला हेल्पलाइन'' एवं ''अल्पावास गृह'' का सुदृढ़ीकरण।	1.वर्तमान स्थिति। 2.''महिला हेल्पलाइन'' एवं ''अल्पावास गृह'' के लिए भवन, कर्मी, संसाधन की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
133	कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित आवासन के लिए ''कामकाजी महिला छात्रावास'' की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।	1.स्थल चयन। 2.कार्ययोजना। 3.बजट की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
134	लैंगिक अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रयास।	1.जन जागरूकता के कार्यक्रम। 2.कन्या सुरक्षा योजना को व्यापक बनाना। 3.महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम।	समाज कल्याण विभाग
135	गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास और सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और ''जीविका'' में समन्वय स्थापित कर, ''स्वयं सहायता समूह आंदोलन के लिए राज्य कार्य योजना'' का निर्माण एवं अनुपालन।	1.स्वयं सहायता समूह को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में सरल प्रक्रिया। 2.उत्पादों के मार्केटिंग के समुचित व्यवस्था। 3.प्रशिक्षण के पर्याप्त व्यवस्था। 4.राज्य कार्य योजना हेतु विशेषज्ञों के टीम का गठन।	ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग
136	शिक्षण संस्थानों एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए पचास प्रतिशत	1.कार्ययोजना। 2.नियमावली का निर्माण।	समाज कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।		
137	महिला पोलिटेकनीक संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी।	1.स्थलों का चयन एवं भवन निर्माण हेतु कार्य योजना।	मानव संसाधन विकास विभाग
138	विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महिलाओं एवं किशोरियों को आवश्यक तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।	1.जिला स्तर पर कोचिंग के लिए ऐजेंसी का चयन। 2.बजट की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
139	महिला उद्यमियों के कायो को प्रोत्साहित करने एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए राज्य कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुपालन। इस हेतु महिला उद्यमियों की राज्य स्तर पर पहचान कर उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने सस्ते दर पर ऋण सुविधाएँ आधारभूत संरचना सहयोग एवं आवश्यक वातावरण निर्माण।	1.विशेषज्ञों के टीम का गठन। 2.राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की कार्यशाला। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 4.बजट का आकलन एवं व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
140	महिलाओं की रोजगारोन्मुखी क्षमता विकास के लिए विभिन्न सेवा प्रक्षेत्रों यथा कम्प्यूटर, ब्यूटीशियन, नसिग, प्राथमिक शिक्षा आदि में संभावनाओं को प्रोत्साहित करना एवं	1.कार्ययोजना। 2.प्रशिक्षकों का चयन। 3.बजट की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	कार्यक्रम/योजनाओं के द्वारा आधारभूत संरचना विकास।		
141	समेकित बाल संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना।	1.पंचायत स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण। 2.ऐजेंसी का निर्धारण।	समाज कल्याण विभाग
142	बच्चों के सांस्थानिक देखभाल (Institutional Care to Children) हेतु विशेष गृहों (Special homes) की स्थापना करना।	1.कार्ययोजना। 2.ऐजेंसी का गठन। 3.बजट का आकलन एवं व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
143	अनाथ, बेसहारा एवं वंचित समुदाय के बच्चों की देखभाल के लिए उनके दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (Adoption), Foster Care कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।	1.सर्वेक्षण हेतु ऐजेंसी। 2.कार्ययोजना। 3.बजट की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
144	भूले भटके और अनाथ-आश्रित बच्चों के लिए प्रमंडल स्तर पर बाल गृहों की स्थापना करना।	1.स्थल चयन। 2.भवन निर्माण। 3.बजट की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
145	मुक्त कराये गये श्रमिकों या स्टेशन आदि पर घूमते अनाश्रित बच्चों के लिए जिला स्तर पर अल्पावास गृह।	1.वर्तमान स्थिति 2.स्थल चयन। 3.भवन निर्माण।	समाज कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
146	समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत स्थापित आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुपालन के प्रयास में तेजी लाकर प्रदत्त सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना।	1.प्रभावकारी अनुश्रवण प्रणाली का विकास। 2.नियमित निरीक्षण एंवं अनुपालन। 3.वितरण सह निगरानी समिति का गठन। 4.गुणात्मक सुधार हेतु अन्य प्रणालियों का विकास।	समाज कल्याण विभाग
147	आँगनबाड़ी केन्द्रों के नये भवनों के समयबद्ध निर्माण की व्यवस्था।	1.वर्तमान स्थिति। 2.भवनहीन केन्द्रों की जिलावार संख्या। 3.भूमि की उपलब्धता। 4.निर्माण का लक्ष्य।	समाज कल्याण विभाग
148	आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में आनेवाले बच्चों को SNP के तहत Micronutrient Fortified Food उपलब्ध करवाना और इसका समुचित प्रबंधन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करना।	1.वर्तमान स्थिति। 2.स्वयं सहायता समूह का चयन। 3.प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश। 4.अनुश्रवण की प्रभावकारी प्रणाली।	समाज कल्याण विभाग
149	ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस को राज्य के सभी पंचायतों में लागू करना।	1. जागरूकता अभियान-समुचित प्रचार प्रसार 2.अधिसूचना/आदेश।	समाज कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
150	राज्य पोषण नीति का निर्माण और राज्य पोषण मिशन प्राधिकार का गठन कर इसका कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करना।समाज कल्याण विभाग	1.नीति का निर्माण। 2.प्राधिकार का गठन। 3.कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
151	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायगा।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्यक्रम की रूप रेखा 3.प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था।	समाज कल्याण विभाग
152	जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना अंतर्गत सभी जिलों में छात्रावासों का निर्माण समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना। 3.भूमि की उपलब्धता। 4.निर्माण की समय सीमा।	समाज कल्याण विभाग
153	अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बनाया जाएगा।	1.निगम बनाने की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा।	अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग।
154	अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जन जाति की बालिकाओं को ''हुनर'' और ''औजार'' योजना के तहत व्यापक पैमाने पर आच्छादित किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.प्रशिक्षण की व्यवस्था। 3.बजट।	अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग।

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
155	गाँवों के परम्परागत उद्योगों जैसे बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, बर्तन बनाने का काम, कुम्हार का काम आदि को बढ़ावा देकर बाजार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी।	1.परम्परागत उद्योगों की पहचान। 2.कार्ययोजना। 3.समयसीमा/मूल्यांकन।	उद्योग विभाग
156	बिहार महादलित विकास मिशन की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही नई योजनाओं को भी प्रारंभ किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.नियमित अनुश्रवण।	अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग।
157	पुलिस और अन्य विभागों की नियुक्तियों हेतु अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जन जाति के इच्छुक उम्मीदवारों की विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।	1.ऐजेंसी का चयन। 2.बजट। 3.कार्ययोजना।	अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग।
158	अनुसूचित जाति/जन जाति आवासीय छात्रावासों का जीर्णोद्धार कर उनके प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.जिला स्तर पर नये सिरे से प्रबंधन समिति का गठन। 3.सतत् अनुश्रवण।	अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग।

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
159	राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।	1.प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर सौहार्द समितियों का गठन। 2.नियमित बैठक एवं सतत् अनुश्रवण। 3.प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की व्यवस्था।	गृह विभाग
160	राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी।	1.वर्तमान स्थिति की समीक्षा। 2.कार्ययोजना। 3.सतत् अनुश्रवण।	गृह विभाग
161	अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा।	1.स्वतंत्र निदेशालय का गठन। 2. कार्ययोजना। 3. अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
162	अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धन राशि ''स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान'' के रूप में कर्णांकित की जाएगी।	1.कार्ययोजना। 2.जिला स्तर पर कमिटि का गठन। 3.सतत् अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
163	उर्दू पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।	1.जन संपर्क विभाग में एक विशेष कोषांग की व्यवस्था। 2.प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था।	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
164	बुनकरों के कल्याणार्थ हर बड़ी बुनकर आबादी में एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा जहाँ ऋण और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।	1.स्थल चयन एवं जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम। 2.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
165	वक्फ बोर्ड के प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ किया जाएगा तथा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।	1.कार्ययोजना। 2.सम्पत्तियों का कम्प्यूटरीकरण। 3.सुरक्षा की व्यवस्था।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
166	सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया जाएगा।	1.रिक्त पदों का आकलन। 2.आवश्यकतानुसार पदों का सृजन। 3.नियुक्ति कार्यक्रम का निर्धारण।	मानव संसाधन विकास विभाग
167	मदरसा शिक्षा की उच्चतर गुणवत्ता हेतु इसे आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।	1.मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग
168	मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।	1.कार्ययोजना। 2.प्रशिक्षण की व्यवस्था।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग
169	प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बंगला भाषी विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बंगला भाषी शिक्षकों का पदस्थापन करने का प्रयास किया जाएगा।	1.रिक्त पदों की पहचान। 2.आवश्यकतानुसार पदों का सृजन। 3.नियुक्ति की प्रक्रिया।	मानव संसाधन विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
170	''तालिमी मरकज'', ''हुनर'' और ''औजार'' जैसे कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल विकास प्रदत्त करने के लिए चलाये जा रहे हैं, का विस्तार किया जाएगा।	1.आवश्यकता का आकलन। 2.आवश्यकतानुसार विस्तार कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग
171	मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को जमीन और भवन की सुविधा प्रदान कर इसकी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।	1.जमीन उपलब्ध कराना। 2.भवन निर्माण की कार्ययोजना। अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
172	राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के लिए मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त कर अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।	1.नोडल ऐजेंसी का चयन। 2.कार्ययोजना।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
173	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिहार शाखा को शीघ्र चालू कराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	1.जमीन उपलब्ध कराना। 2.कार्ययोजना। 3.सतत अनुश्रवण।	मानव संसाधन विकास विभाग
174	बीड़ी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उन्हें ऋण और आवास निर्माण की सहायता प्रदान की जाएगी।	1.सर्वेक्षण एवं पहचान। 2.कार्ययोजना। 3.बैंकों से समन्वय की व्यवस्था एवं अनुश्रवण।	उद्योग विभाग
175	बिहार राज्य धुनिया, रंगरेज, दरजी, कोऑपरेटिव	1.कार्ययोजना।	समाज कल्याण

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	फेडरेशन को सुदृढ बनाकर इन पेशों से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।	2.क्रियान्वयन ऐजेंसी। 3.अनुश्रवण।	विभाग
176	अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से सरकारी सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु आवश्यक अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र देने हेतु नियमावली बनायी जाएगी तथा यह कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा ।	1.नियमावली तैयार करना। 2.एक ऐजेंसी का गठन। 3.अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
177	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं अपना कारोबार आरंभ करने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना’’ तथा अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ की जाएगी ।	1.‘‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना’’ का निरूपण। 2.नियमावली का निर्माण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
178	अल्पसंख्यक छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ध्वनिरहित जेनरेटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा ताकि छात्र आधुनिक परिवेश में पढ़ाई कर सकें। इन छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक अल्पसंख्यक	1.आवश्यकता का आकलन। 2.निधि की उपलब्धता। 3.ऐजेंसी का निर्धारण। 4.अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	छात्रवास के परिसर में ही छात्रावास अधीक्षक के आवास		
179	बिहार राज्य हज समिति का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाएगा ताकि हज समिति के माध्यम से हाजियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायीं जा सकें।	नियमावली में आवश्यक संशोधन।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
180	परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए चलायी जा रही सहायता योजना को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लाभान्वित महिलाएँ प्राप्त राशि से स्वरोजगार कर सकें।	1.कार्ययोजना। 2.अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
181	सूफी परम्परा से जुड़े स्थलों और अल्पसंख्यक समुदाय के पुस्तकालयों के रख-रखाव और सुदृढीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।	1.सर्वेक्षण। 2.कार्ययोजना। 3.अनुश्रवण।	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
182	राज्य स्तरीय बी.पी.एल. आयोग गठित किया जायगा जो कि सभी बी.पी.एल परिवारों को चिन्हित करेगा तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करेगा।	1.आयोग के गठन की कार्रवाई।	ग्रामीण विकास विभाग
183	सभी बी.पी.एल परिवारों को खाद्यान्न या उसके एवज में समतुल्य नकद राशि उपलबध कराई जायेगी।	1.वर्तमान स्थिति। 2.आवश्यकता का आकलन। 3.खाद्यान्न की उपलब्धता। 4.प्रभावकारी अनुश्रवण।	ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
184	राज्य के सभी पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य संचालित कर किसानों के उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहजता से खरीदा जाएगा।	1.जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन। 2.पैक्सों के लिए वित्तीय सहयोग की व्यवस्था।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
185	अधिप्राप्ति एवं जन-वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर उनकी कार्य क्षमता और उनके आच्छादन में समुचित अभिवृद्धि की जाएगी।	1.वर्तमान स्थिति। 2.कार्ययोजना। 3.अनुश्रवण।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
186	राज्य में भंडारण क्षमता का विकास कर अधिप्राप्ति की पूर्ण संभावनाओं को मूर्त्त रूप दिया जाएगा।	1.पैक्सों के लिए भंडारगृहों का निर्माण। 2.जिला स्तर पर भंडारगृह का निर्माण। 3.अनुश्रवण की व्यवस्था।	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
187	राज्य के समृद्ध विरासत स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।	1.स्थलों का सर्वेक्षण। 2.विकसित करने के लिए कार्ययोजना। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था।	पर्यटन विभाग
188	पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना यथा होटलों के निर्माण, Way Side Facility एवं अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को लोक निजी भागीदारी के तहत मूर्त्त रूप दिया जाएगा।	1.सर्वेक्षण एवं आकलन। 2.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 3.अनुश्रवण।	पर्यटन विभाग
189	राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों विशेषकर बौद्ध परिपथ को यातायात एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा और इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण किया जाएगा।	1.कार्ययोजना। 2.निजी निवेशकों को प्रोत्साहन। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 4.सरचना का विकास।	पर्यटन विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
190	विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं धरोहरों के लिए अलग-अलग परिपथ बनाकर सुलभ यात्रा पैकजों को विकसित किया जाएगा ताकि सामान्य लोगों को भ्रमण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।	1.कार्ययोजना। 2.निजी निवेशकों को प्रोत्साहन। 3.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था। 4.सरचना का विकास।	पर्यटन विभाग
191	महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मेला स्थलों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्यान्वित की जाएगी।	1.सर्वेक्षण एवं आकलन। 2.कार्ययोजना का निर्माण। 3.अनुश्रवण की व्यवस्था। 4.लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था।	पर्यटन विभाग
192	'ब्रान्ड बिहार' के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक कार्य योजना कार्यान्वित की जाएगी।	1.कार्ययोजना तैयार करना। 2.ऐजेंसी का चयन। 3.अनुश्रवण।	पर्यटन विभाग
193	सभी जिला मुख्यालयों में एक खेल स्टेडियम, प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण और संधारण किया जायेगा।	1.सर्वेक्षण एवं कार्य योजना। 2.भूमि उपलब्ध कराना। 3.अनुश्रवण	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
194	बिहारी अस्मिता और बिहारी पहचान की ओर सृदृढ़ करने के उद्देश्य से ''बिहार दिवस'' और अन्य महोत्सवों के आयोजन राज्य के भीतर और बाहर नियमित रूप से किए जाएंगे।	1.कार्ययोजना। 2.व्यापक प्रचार प्रसार। 3.एक समिति का गठन।	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
195	प्रवासी बिहारियों का बिहार से जुड़ाव सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु	1.कार्ययोजना। 2.एक स्वतंत्र आयोग के गठन पर विचार।	कला संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रमांक	कार्यक्रम	समीक्षा के बिन्दु	विभाग का नाम
	प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।	3.प्रवासी बिहारियों से सम्पर्क एवं समन्वय के लिए एक ऐजेंसी।	
196	राज्य स्तरीय छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा।	1.राज्य स्तरीय छात्र कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई।	कल्याण विभाग
197	बिहार के उत्कृष्ठ खिलाि डर को सरकारी नियुक्ति देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।	1.नियमावली का निर्माण। 2.खिलाि डयोंके चयन के लिए एक ऐजेंसी। 3.प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार के प्रयास।	कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग
198	पंचायत से राज्य स्तर तक नियमित रूप से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।	1.खेल कैलेण्डर का निर्माण। 2.अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी ऐजेंसी का गठन।	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
199	हर स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाि डर को चिन्हित कर उनकी कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।	1.प्रखण्ड स्तर, जिला एवं राज्य स्तर पर खिलाि डयोंके चयन के लिए समिति का गठन। 2.खिलाि डयोंकी पहचान। 3.खेल के कोटि के अनुसार प्रत्येक स्तर पर कोच की व्यवस्था। अनुश्रवण।	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
200	सरकार ऊँची जाति के गरीब तबकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन करेगी, जो इनकी समस्याओं का अध्ययन कर निराकरण हेतु उपायों की अनुशंसा करेगा।	1.आयोग के गठन की कार्रवाई। 2.समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण। 3.नियमावली का निर्माण। 4.अनुश्रवण की व्यवस्था। 5.व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था।	सामान्य प्रशासन विभाग